भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2949
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सेंध

2949. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों की बड़ी आबादी वाले राज्यों ने सीमा पार तस्करी सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की बड़ी मात्रा में चोरी की सूचना दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार विपथन के मामलों में बार-बार फंसे निजी मिल मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की संलिप्तता का किस प्रकार समाधान कर रही है और हाशिए पर रहने वाले प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत अभिशासित है और इसका प्रचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

...2/-

पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सीमा पार तस्करी सहित चावल की चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है और न ही इसकी पहचान की गई है। तथापि, पीडीएस से संबंधित कोई भी शिकायत/समस्या जब भी किसी स्रोत से प्राप्त होती है तो उसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जांच और उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

(ग): मिलिंग संचालन को मानकीकृत करने और मिल मालिकों के पास पड़े स्टॉक के सत्यापन के लिए, धान खरीद करने वाले सभी राज्यों को मिलिंग और कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) डिलीवरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें धान को चावल में परिवर्तित करने के पूरे जीवन चक्र को शामिल करने वाली गतिविधियों के तौर-तरीके शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, खरीद अवधि के अंत में मिल परिसर/भंडारण स्थलों पर धान के वास्तविक सत्यापन (पीवी) के लिए और मिलिंग/सीएमआर वितरण अवधि के विस्तार की मांग करते समय राज्य सरकार और एफसीआई द्वारा अनिवार्य संयुक्त पीवी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है।

*****